न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 114/2020 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2020/00361**

दायर दिनांक :– 04.09.2020 **निर्णय दिनांक :– 12.01.2026**

1. चन्दनसिंह पुत्र हाथीसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. शिवलाल पुत्र शेराराम जाति विश्नोई निवासी सुरपुरा तहसील व जिला जोधपुर
2. चन्दनसिंह पुत्र अचलसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
3. सन्तोष कंवर पत्नी चन्दनसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
4. बालू कंवर पत्नी लादूसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रकिया संहिता, 1908

उपस्थित :–1. श्री राणीदानसिंह अधिवक्ता प्रार्थी

2. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधि. अ.सं. 2 ता 4

3. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधि. अप्रार्थी सं. 1

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रकिया संहिता, 1908 इस आशय से पेश किया है कि ग्राम बारू में खसरा नम्बर 880 रकबा 465–17 बीघा, खसरा नम्बर 935 रकबा 152–03 बीघा, खसरा नम्बर 946 रकबा 115–03 बीघा, खसरा नम्बर 949 रकबा 13–03 बीघा खसरा नम्बर 950 रकबा 220–08 बीघा, खसरा नम्बर 1259 रकबा 185–07 बीघा, खसरा नम्बर 1501 रकबा 187–03 बीघा काश्त भूमि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त की स्थित है। उक्त काश्त भूमि व ग्राम धोलिया स्थित अन्य खसरान् की भूमि पूर्व में संयक्त रूप से प्रार्थी का 1/4 हिस्सा संयुक्त खातेदारी में तत्कालीन ग्राम बारू के राजस्व रेकर्ड में दर्ज रहीं है। उक्त भूमि का प्रार्थी ने कभी भी सह खातेदारान के साथ बंटवाड़ा नहीं किया है। उक्त ग्राम बारू स्थित भूमि में प्रार्थी के 1/4 हिस्सा, जुगतसिंह पुत्र मंगलसिंह के 1/4 हिस्सा, नाथूसिंह, रामसिंह पुत्रगण सांवतसिंह का 1/4 हिस्सा तथा उम्मेदसिंह, चन्दनसिंह, लादूसिंह पुत्रगण सुरतानसिंह का 1/4 हिस्सा रहा है। उक्त भूमि में प्रार्थी को 1/4 हिस्सा भूमि बंट में आने के बावजूद प्रार्थी की उपस्थिति के बिना नाथूसिंह पुत्र सांवतसिंह, रामसिंह पुत्र सांवतसिंह, उम्मेदसिंह , चन्दनसिंह पि. सुरतानसिंह ने फर्जी व कूटरचित बंटवाड़ा बताकर नामान्तरकरण संख्या 509 ग्राम बारू विधि विरूद्व तरीके से स्वीकृत करवा लिया, जिसमें प्रार्थी की कभी भी सहमति नहीं रहीं है। उक्त कूटरचित फर्जी बंटवाड़े के नामान्तरकरण संख्या 509 ग्राम बारू के विरूद्व जुगतसिंह पुत्र मंगलसिंह ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी में अपील

Satya

संख्या 4/1993 पेश की जो दिनांक 07.05.1997 को स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 509 ग्राम बारू निरस्त कर गुणावगुण पर नये सिरे से आदेश पारित करने का निर्णय कर प्रकरण तहसीलदार फलोदी को रिमाण्ड कर दिया गया। न्यायालय तहसीलदार फलोदी ने रिमाण्ड प्रकरण संख्या 15/1999 का दिनांक 16.03.2022 को निर्णय कर ग्राम बारू का नामान्तरकरण संख्या 509 निरस्त करने का आदेश पारित किया, साथ ही नामान्तरकरण स्वीकृति की दिनांक 15.09.1980 के पूर्व की स्थिति रेकर्ड में कायम करने का आदेश भी दिया गया। तहसीलदार फलोदी के उक्त निर्णय के विरूद्व सहखातेदार नाथूसिंह पुत्र सांवतसिंह ने अतिरिकत संभागीय आयुक्त जोधपुर के न्यायालय में अपील संख्या 178/2006 पेश की। जिसके निर्णय दिनांक 29.02.2008 द्वारा नाथूसिंह की अपील खारिज कर तहसीलदार फलोदी के निर्णय दिनांक 16.03.2002 को यथावत रखने के आदेश जारी किये। नाथूसिंह पुत्र सांवतसिंह ने न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के उक्त निर्णय दिनांक 29.02.2008 के विरूद्व न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर में निगरानी संख्या 5417/2008 पेश की गई। उक्त निगरानी सारहीन और तथ्यों से परे होने के कारण मण्डल ने अपने आदेश दिनांक 23.12.2011 के जरिये खारिज कर अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के निर्णय को यथावत रखा गया। अर्थात फर्जी एवं कूटरचित नामान्तरकंरण संख्या 509 ग्राम बारू को सभी न्यायालयों ने अंतिम रूप से निरस्त किया है। लेकिन न्यायालय के राजस्व रेकर्ड नामान्तरकरण संख्या 509 ग्राम बारू के स्वीकृत करने की पूर्व की स्थिति रेकर्ड में कामय करने के आदेश होने के बावूजद संबंधित राजस्व कर्मचारियों ने आज रोज तक नामान्तरकरण संख्या 509 ग्राम बारू के पूर्व की स्थिति रेकर्ड में कायम नहीं की है जिससे प्रार्थी को अत्यन्त नुकसान हो रहा है। नामान्तरकरण संख्या 509 ग्राम बारू के पूर्व की स्थिति रेकर्ड में कायम करना न्यायोचित है। संबंधित न्यायालयों के निर्णय की प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 की और से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 की और से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश गोदारा ने वकालतनामा पेश किया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। पत्रावली बहस में रखी गयी।

अधिवक्ता उभय पक्ष की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 पर बहस सुनी गयी। **अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश किये जो निम्नानुसार है–**

1. आर.आर.डी. 1990 पेज संख्या 615 रामसिंह बनाम राजस्थान राज्य
2. आर.आर.डी. 1991 पेज संख्या 18 गोबी अलियास बोबी व अन्य बनाम श्रीमति मैना व अन्य
3. आर.आर.डी. 1993 पेज संख्या 118 बीरदीलाल बनाम जगननाथ व अन्य
4. आर.आर.डी 1990 पेज संख्या 355 यसवन्तसिंह बनाम राजस्थान राज्य

Satya..

5. आर.आर.डी 2003 पेज संख्या 162 शैतानसिंह व अन्य बनाम एल.आर.एस छितर व अन्य में प्रतिपादित किया है कि when order and decree of the trial court were reversed by appellate court, the trial court was bound to accept the application of restitution, u/s 144 cpc instead of examining the validity and legality of the judgemment and decree

6. आर.आर.डी. 1998 पेज संख्या 569 जगननाथी बाई बनाम राम कल्याण व अन्य राजस्व मण्डल की वृहतपीठ ने भी अपने निर्णय 1990 आर.आर.डी. पेंज संख्या 355 में यह स्पष्ट किया है कि **रिमाण्ड किये गये प्रकरण में यदि मूल डिकी निरस्त की जाती है तो उसके पूर्व की स्थति को बहाल करना आवश्यक है।**

7. आर.आर.टी. 2012(2) पेज संख्या 830 ब्रिजराजसिंह व अन्य बनाम देवीसिंह

8. आर.आर.टी. 2012(2) पेज संख्या 1233 असरफ व अन्य बनाम कमला

9. आर.आर.टी. 2018–19 पेज संख्या 357 लालूराम बनाम लाली व अन्य में यह स्पष्ट किया है कि **आर.एल.डब्लू. 2012(2) (राज.) पेज संख्या 1243 में यह स्पष्ट सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि जब अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय की निर्णय व डिकी को उलट दिया जाता है तो विचारण न्यायालय उस डिकी की विधि मान्यता का परीक्षण करने का बजाय धारा 144 सी.पी.सी. के तहत पुनर्स्थापना के आवेदन को स्वीकार करने हेतु बाध्य था।**

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 ने अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये जो निम्नानुसार **है–**

आर.आर.टी. 2019(1) पेज संख्या 585 मूर्ति भवानी माता मन्दिर बनाम राजेश व अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि "144 Application for restitution- (1) Where and in so far as a decree or an order is varied or reversed in any appeal, revision or other proceeding or is set aside or modified in any suit instituted for the purpose the Court which passed the decree or order shall on the applicaion of any party entitled to any benefit by way of restitution otherwise cause such restitution to be made as will so far as may be place the parties in the parties in the position which they would have occupied but for such decree or order or such part thereof as has been varied revered set aside or modified and for this purpose the court may make any order including orders for he refund of costs and for the payment of interest damages compensation and mesne profits which are properly consequential on such variation reversal setting aside or modification of the decree or order"

Satya..

11. Section 144 applies to a situation where a decree or an order is varied or reversed in appeal revision or any other proceeding or is set aside or modified in any suit instituted fo the purpose. In that situation, the court which has passed the decree may cause restitution to be made, on an application of any party entitled so as to place the parties in the position which they would have occupied but for the decree or order or such part thereof as has been varied, reversed set aside or modified. The court is empowered to pass orders which are consequential in nature to the decree or order being varied or reversed.

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, उभय पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन एवं मनन करने पर पाया गया कि नामान्तरकरण संख्या 509 मौजा बारू के कॉलम संख्या 14 में अकंन किया गया है कि बजरिये पारिवारिक बंटवाड़ा स्टाम्प रूपये 5 पर क्रमांक 1273 दिनांक 31.10.1979 को होने से नामान्तरकरण पेश है। उक्त नामान्तरकरण सरपंच ग्राम पंचायत बारू ने दिनांक 15.09.1980 को स्वीकृत किया गया। नामान्तरकरण संख्या 409 के विरूद्व जुगतसिंह ने उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की गयी। उक्त अपील दिनांक 07.05.1997 को स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 509 को निरस्त करने का अदेश पारित किया गया। उक्त आदेश की अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई। न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर ने उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय व ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण दोनों को अपास्त करते हुवे तहसीलदार को सहखातेदारों के बीच हुए बंटवाड़े के बारे में पूर्ण जांच करने बाबत प्रकरण प्रतिप्रेषित कर दिया। तहीसलदार द्वारा उक्त आदेश की पालना में पारिवारिक बंटवाड़ा आधारहीन होना मानते हुवे अपने निर्णय दिनांक 16.03.2002 को राजस्व रिकार्ड में दिनांक 15.07.1980 से पूर्व की स्थिति कायम करने का आदेश पारित किया गया। तहसीलदार के उक्त निर्णय दिनांक 16.03.2002 के विरूद्व न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर में अपील प्रस्तुत की गई जिसे अपने पूर्व निर्णय दिनांक 29.02.2006 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को उचित बातते हुवे अपील को खारिज कर दिया गया। न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के निर्णय के विरूद्व न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत की गयी। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन व तथ्यों से परे होने के कारण खारिज की गई। उपरोक्त सभी न्यायालयों के निर्णयों का अवलोकन करने से स्पष्ट हो रहा है कि नामान्तरकरण संख्या 509 से पूर्व की स्थिति कायम करने का आदेश तहसीलदार द्वारा पारित किया जिसे प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 5 में भी स्वीकार किया गया है।

अपितु धारा 144 सिविल प्रकिया संहिता, 1908 में स्पष्ट प्रावधान है कि **किसी न्यायालय द्वारा पारित डिक्री या आदेश को अपील या पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही में फेरफार किया है**

Satya..

या उल्टा है या, किसी संस्थित वाद में अपास्त या उपांतरित किया गया है, प्रत्यास्थापन का हकदार व्यक्ति (पक्षकार) प्रथम बार के न्यायालय में आवेदन करता है।

न्यायालय तहसीलदार फलोदी ने रिमाण्ड प्रकरण संख्या 15/1999 का दिनांक 16.03.2002 को निर्णय कर ग्राम बारू के नामान्तरकरण संख्या 509 को निरस्त करने का आदेश पारित कर पूर्व की स्थिति रिकार्ड में कायम करने का आदेश प्रदान किया गया था। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र सिविल प्रकिया संहिता, 1908 की धारा 144 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने से अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—:: आदेश ::—

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रकिया संहिता, 1908 स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Satya..

(सत्य नारायण–I आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)